4/9/22, 6:50 PM आर् ओ आर्





Form 1

Maintenance of records Form of Continous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See

Rule 4)

Continous

Khatian

Anchal- धनबाद Rev P.S- झरिया State of- झारखण्ड Police Station- झरिया R.T.No 12 Khata Type रैयती

| | रैयत का नाम,पिता का नाम एवम जाति | प्लाट संख्या | री ए | કે | हे | लग | गन वै |) किप्यत / अभ्युक्ति | भाग वर्तमान/ पृष्ट संख्या |
|-----|--|-----------------|------|--------|----------|--------|-------|-------------------------|------------------------------------|
| | मुकसेद मियाँ, पिता-खेलु मियाँ, जाति एवं पीवी जान वीवी , पिता-अली मियाँ, जाति- एवं गुही मियाँ , पिता-विजु मियाँ , पिता-चरकु मियाँ, जाति- एवं सखीना वीवी , पिता- हनीफ मियाँ, जाति एवं हफुजन वीवीवो जहीरन वीवी , पिता-जाफर मियाँ, जाति एवं अब्दुल रहमान वो महमद एहसान , पिता-चुकु मियाँ, जाति- मोमीन | 1801 | | 0 ऐ | 10 डि | 0 ऐ | | | |
| | | 2018 | | 0 ऐ | 5 डि | 0 ऐ | | | |
| | | 2018/4881 | | 0 ऐ | 5 डि | 0 ऐ | | | |
| | | 2138 | | 0 ऐ | 4 डि | 0 ऐ | | | 1 / 466 |
| | | 2159 | | 0 ऐ | 10 डि | 0 ऐ | | | |
| 467 | | 2184 | | 0 ऐ | 45 डि | 0 ऐ | 0 | | |
| | | 2220 | | 0 ऐ | 6 डि | 0 ऐ | | | |
| | | 2221 | | 0 ऐ | 2 डि | 0 ऐ | | | |
| | | 2222 | | 0 ऐ | 7 डि | 0 ऐ | | | |
| | | 2243 | | 0 ऐ | 8 डि | 0 ऐ | | | |
| | | 2244 | | 0 ऐ | 4 डि | 0 ऐ | | | |
| | | | | | | | | | |

4/9/22, 6:50 PM आर् ओ आर्

| | | | | | 1, 011 | | | |
|-----|--|------|--------|------------|---------|---|--|------------|
| 467 | परुवाला देवी (मंडल) , पति- अंजीर मंडल , जाति | 1801 | 0 ऐ | 2.14 डि | 0 हे | 3 | दाखिल ख़ारिज केस न 1085(II)2012-13 | 6 / 106 |
| | | | | | | | | |
| 467 | अमीका देवी , पति-देवेन्द्र प्रसाद केवाट , जाति | 2212 | 0 ऐ | 1.3 ਤਿ | 0 हे | 4 | नामान्तरण मुकदमा संख्या 521/2018 - 2019 | 10 / 56 |
| | | 2212 | 0 ऐ | 1.3 डि | 0 हे | | | |
| | | | | | | | | |
| 467 | श्रीमती मीना देवी , पति-श्री श्याम लाल , जाति- मल्लाह | 2212 | 0 ऐ | 1.13 डि | 0 हे | 4 | नामान्तरण मुकदमा संख्या 302/2019 - 2020 | 12 / 67 |
| | | | | | | | | |

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

4/9/2022